रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1227/2025/811/22-2-2025-17(1319)/2023

लखनऊ : दिनांक: 14 अक्टूबर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महिला दिवस, 2025 (08 मार्च, 2025) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवनीत उर्फ भूरे (कैदी संख्या-17086) पुत्र श्री चन्द्र प्रभाकर शर्मा, जो लमऊआ, थाना-दियोरिया कला, जनपद-पीलीभीत का निवासी हैं, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-457/2002, 458/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 ए०एक्ट में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-06, पीलीभीत के आदेश दिनांक 13.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.02.2013 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 07 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-1227/2025/811(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।

4- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in